

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 52/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/166

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

मोड़ी देवी पत्नी जेताराम

जाति जाट

निवासी दुर्गापुरा

तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

1.हड़मानाराम पुत्र उदाराम

2.भोनाराम पुत्र गेनाराम

3.रूगाराम पुत्र गेनाराम

4.वावुराम पुत्र गेनाराम

5.वींजाराम पुत्र दीपाराम

6.वालाराम पुत्र दीपाराम

7.मांगाराम पुत्र दीपाराम

8.सारोदेवी वेवा दीपाराम

9.पुरखाराम पुत्र मंगलाराम

10.रेंवतराम पुत्र मंगलाराम

11.रमेश कुमार पुत्र वागाराम

12.बुधाराम पुत्र वागाराम

13.आसुदेवी पत्नी वागाराम

14.गोपाराम पुत्र भूराराम

15.कानाराम पुत्र भूराराम

16.जेती पत्नी भूराराम जाति जाट

निवासी दुर्गापुरा तहसील पाटोदी

17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता वादीनी

2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक-23.01.2026

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा दुर्गापुरा तहसील

पाटोदी की खेत खसरा संख्या 473/361,482/372 व 517/417 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद

दिनांक 23.12.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पाटोदी को मौके पर जाकर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तादनुसार भूमि का बाई गिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार गौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव गुताविक अंतिम डिक्री जारी करवाने पर चाधीनी अधिवक्ता सहमत है। ऐसी शूरत मे तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा चाधीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद गौजा दुर्गापुरा तहसील पाटोदी की खेत खरारा संख्या 473/361,482/372 व 517/417 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	बरंग
1	मोड़ीदेवी पत्नि जेताराम कौम जाट सा. पतासर खातेदार	दुर्गापुरा	473/361	5.5199	बा.सो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	आसुदेवी पत्नी बागाराम हि. 1/96 रहन RMGB बागावास कानाराम पुत्र भूराराम हि. 1/32 गोपाराम पुत्र भुराराम हि. 1/32 जेती पत्नी भूराराम हि. 1/32 बुधाराम पुत्र बागाराम हि. 1/96 रहन RMGB बागावास ,बाबुराम पुत्र गेनाराम हि. 1/12 बीजाराम पुत्र दीपाराम हि. 1/16 भोनाराम पुत्र गेनाराम हि. 1/12 मांगाराम पुत्र दीपाराम हि. 1/16 मोहनराम पुत्र मंगलाराम हि. 1/16 रूगाराम पुत्र गेनाराम हि. 1/12 रमेश पुत्र बागाराम हि. 1/96 रहन RMGB बागावास रेंवतराम पुत्र मंगलाराम हि. 1/16 रहन RMGB बागावास वालाराम पुत्र दीपाराम हि. 1/16 सारोदेवी पत्नि दीपाराम हि. 1/16 हड़मानाराम पुत्र उदाराम हि. 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार	दुर्गापुरा	473/361 482/372 517/417	11.7682 2.1853 3.3346	बा.सो. बा.सो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार




महायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार, पाटोदी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री वर्ग मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।


(अशोक कुमार) 23/01/2026
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23-01-2026 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 52/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/166

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

मोड़ी देवी पत्नी जेताराम
जाति जाट
निवासी दुर्गापुरा
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

- 1.हड़मानाराम पुत्र उदाराम
- 2.भोनाराम पुत्र गेनाराम
- 3.रूगाराम पुत्र गेनाराम
- 4.बाबुराम पुत्र गेनाराम
- 5.बींजाराम पुत्र दीपाराम
- 6.वालाराम पुत्र दीपाराम
- 7.मांगाराम पुत्र दीपाराम
- 8.सारोदेवी बेवा दीपाराम
- 9.पुरखाराम पुत्र मंगलाराम
- 10.रेंवतराम पुत्र मंगलाराम
- 11.रमेश कुमार पुत्र बागाराम
- 12.बुधाराम पुत्र बागाराम
- 13.आसुदेवी पत्नी बागाराम
- 14.गोपाराम पुत्र भूराराम
- 15.कानाराम पुत्र भूराराम
- 16.जेती पत्नी भूराराम जाति जाट
निवासी दुर्गापुरा तहसील पाटोदी
- 17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :52/2021

निर्णय दिनांक :- 23.1.2026

वादीनी की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 23.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 23.1.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीनी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा